न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 85/2014

सायल :-

बनाम

1. मुलाराम पुत्र रिमझीराम
जाति-बावरी निवासी-पिपलियाखुर्द
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

गै0सा0 :-

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् पैमाईश, सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी कराने अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तारीख रजूः.20.05.2014

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायल।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 17/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत पैमाईश, सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी कराने अन्तर्गत धारा 111, 128, 131 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा-पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का-पिपलियाखुर्द तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 14-02 बीघा किस्म बा0अ0 की आई हुई हैं। जिसका प्रार्थी रिकोर्डेड काबिल खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बरर 362 की जमाबन्दी खतौनी व मय नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि के पास चिपते ही ग्राम-पिपलियाखुर्द में वाके आराजी खसरा नम्बर 366 रकबा 14-03 बीघा किस्म बा0अ0 वाके हैं। उक्त ख्सरा नम्बर 366 के चम्पालाल, बद्रीलाल, अणदाराम, निहालराम व पेमाराम पिसरान मिसरू जातियान-बावरी निवासीगण-पिपलियाखुर्द तहसील-जैतारण रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 362 और खसरा नम्बर 366 के बीच सीमांकन की पत्थर गढ्ढी व सीमांकन के मुड्डे रोपे हुये नही हैं, न ही सीमांकन के स्थायी पिलर्स लगे हुये है। इसलिये खसरा नम्बर 366 के खातेदार काश्तकार जबरदस्ती सीमांकन नही होने व मुड्डे व बाउण्डरी मार्क नही होने से एवं प्रार्थी के मध्य खसरा नम्बर 362 की जमाबन्दी खतौनी मय नक्शा ट्रेश की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। प्रार्थी पूर्व में अप्रार्थी तहसीलदार, जैतारण को खसरा नम्बर 362 रकबा 14-02 बीघा भूमि का सीमांकन नही होने दे रहे है व सीमांकन में विवाद किये जाने की स्थिति में सीमांकन व पैमाईश का अधिकारी लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.एम.) को ही है व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111, 128 व 131 के अधिकार नोटिफिकेशन के जरिए सब डिवीजन ऑफिसर को निहित कर दिये गये हैं। इस प्रकार श्रीमान एस.डी.एम. लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर को सीमांकन करवाने का पुरा अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की खातेदारी जमीन के सीमांकन का विवाद सैटलमेंट विभाग के विशेषज्ञ भू-माफक अमिन व इन्सपेक्टर द्वारा आधुनिक पैमाईश के यन्त्रों व दूरसंचार के उपग्रह (सैटेलाइट) से प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 362 का सीमांकन व पैमाईश सैटलमेंट के विशेषज्ञ अधिकारीयों व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कर्मचारीयों द्वारा करवायी जाना आवश्यक हैं। इस हेतु डायरेक्टर लैण्ड रिकॉर्ड राजस्थान जयपुर के नियमानुसार एवं देय कानूनी फिस जो प्रार्थीगण सैटलमेंट विभाग में अदा करने को तेयार है व सैटलमेंट ऑफिसर जोधपुर को श्रीमान द्वारा प्रार्थी की पैमाईश की राशि अदा करने के पश्चात पैमाईश व सीमांकन कर रिपोर्ट मंगवायी जाना आवश्यक है।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–पिपलियाखुर्द में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गै0सा0 तहसीलदार, जैतारण स्वयं राजस्व लोक अदालत शिविर में उपस्थित आए। गै0सा0 ने प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों को स्वीकार किया हैं।

–:: आदेश ::–

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–पिपलियाखुर्द, पटवार हल्का–पिपलियाखुर्द तहसील–जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 14–02 बीघा किस्म बा0अ0 में सीमांकन करवाकर पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी करावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–पिपलियाखुर्द पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner